# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

थी : श्री पन्नालाल बनाम विपक्षी : श्री मागू उर्फ मांगीलाल व अन्य

रम मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 95/25

कार्यवाही विवरण

नांक 30.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 6 के सम्मन याद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत अपुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि होकर हमारे मौरूस श्री मोटा जी के समय से चली आ रही है। मोटा जी के निधन के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि विरासत से विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हुई। विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 पुत्र एवं विपक्षी संख्या 3 से 5 पुत्रीया है। उक्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 का जन्म से ही हक अधिकार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 304 की आराजी नम्बर 1460 से 1463, 244 से 251, 255 से 261, 263, 267, 268 किता 22 रकबा 4.8500 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 341 की आराजी नम्बर 1914, 1919 से 1928 किता 11 रकबा 2.600 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/9 हिस्से से, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 342 की आराजी नम्बर 1887 से 1889, 1905, 1906 किता 5 रकबा 3.2400 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्से से, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 301 की आराजी नम्बर 2161 किता 1 रकबा 0.2100 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्से से व परिशिष्ट (च) की खाता संख्या नया 340 की आराजी नम्बर 1930 किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्से से दर्ज है। उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी का हिस्से अनुसार अधिकार है तथा उसी अनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लेकिन विपक्षी सं. 1 प्रार्थी से अकारण मन मुटाव रखता है और प्रार्थी के बिना ज्ञान, बिना सहमती के, बिना किसी आवश्यक आवश्यकता की पुर्ति के एवं बिना जायज जरूरीयात के विवादित भूमि को विपक्षी सं. 6 के सहयोग से विवादित भूमि को अपने जीवनकाल में ही रहन बेह बक्षीस आदि तरिको से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जब कि उनको हक हिस्से की कृषि भूमि से महरूम

रखने की बनीयत से गांव के असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर किया जा रहा जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अनुपस्थित रहें।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि होने का कथन कहा है साथ ही बताया कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के पिता है तथा उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को उनके मौरूस ... जी के विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं ? उक्त बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगावं तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 304 की आराजी नम्बर 1460 से 1463, 244 से 251, 255 से 261, 263, 267, 268 किता 22 रकबा 4.8500 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 341 की आराजी नम्बर 1914, 1919 से 1928 किता 11 रकबा 2.600 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 342 की आराजी नम्बर 1887 से 1889, 1905, 1906 किता 5 रकबा 3.2400 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 301 की आराजी नम्बर 2161 किता 1 रकबा 0.2100 हैक्टयर भूमि व परिशिष्ट (च) की खाता संख्या नया 340 की आराजी नम्बर 1930 किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।